छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक .... अगस्त 2010

क्रमांक /छ.रा.वि.नि.आ./2010, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा (181)(2) की उपधारा (जेडके), सहपठित धारा 91 (2) एवं (3) में निहित प्रावधानो के अंतर्गत आयोग द्वारा पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005 का प्रकाशन किया गया था। विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा गठित केन्द्र एवं राज्य के विद्युत नियामक आयोगों की संस्था फोरम ऑफ रेगुलेटर्स द्वारा राज्य आयोगों में पद संरचना हेतु दी गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य शासन द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ–10–3/2004/13/1 दिंनाक 28/05/2010 के द्वारा आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संशोधित पद संरचना को अनुमोदित किया गया है। उक्त संशोधित पद संरचना एवं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की विभिन्न अनुशंसाओं के आधार पर आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की स्वीकृति से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित पुनरीक्षित विनियम बनाता है :–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2010 ।

अध्याय 1. प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2010 कहलाएगें।

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. **विनियम का विस्तार :**

ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

3. **परिभाषाएँ :**

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(ए) ''**केन्द्रीय अधिनियम**'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36)

(बी) ''**आयोग**'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,

(सी) ''**अध्यक्ष**'' से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष,

(डी) ''**सदस्य**'' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य,

(ई) ''**नियुक्तिकर्ता**'' से अभिप्रेत है इस विनियम के परिषिष्ठ–2 में दर्शाएनुसार नियुक्ति करने वाला,

(एफ) ''**राज्य शासन**'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,

(जी) ''**सचिव**'' से अभिप्रेत है आयोग का सचिव,

(एच) ''**वर्ष**'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक),

(2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है और जो इनमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में है ।

अध्याय–2 पदों की संख्या एवं वर्गीकरण

4. अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या एवं उनका वर्गीकरण

(1) आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं वर्गीकरण परिषिष्ठ–1 में दर्शाये अनुसार होगा ।

(2) राज्य शासन से अनुमोदित होने की शर्त पर आयोग समय–समय पर परिषिष्ठ–1 में दर्शित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन, एवं उसे बढ़ा, घटा या समाप्त कर सकता है एवं पदों को पुनः वर्गीकृत कर सकता है ।

(3) आयोग, स्वयं द्वारा निर्धारित मानदेय एवं शर्तों पर आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की सहायता हेतु सलाहकार एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर भी कर सकता है ।

5. पदों का भरा जाना

आयोग के लिये कंडिका–4 (1) के अनुसार प्रत्येक संवर्गों के सभी पदों पर हर समय अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ लेने की बाध्यता नहीं होगी।

अध्याय 3 : नियोजन

6. अधिकारियों/कर्मचारियों का नियोजन

(1) एक अधिकारी/कर्मचारी को उसके श्रेणी के अनुसार उसकी योग्यता एवं उपयोगिता को देखते हुए, वह जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसके अतिरिक्त अन्य किसी पद पर भी नियोजित किया जा सकता है बशर्ते की वह पद रिक्त हो और उस पद पर सेवाओं की आवश्यकता हो।

(2) किसी अधिकारी/कर्मचारी को यदि एक या एक से ज्यादा पदों की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जावेगा ।

अध्याय 4 : नियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तें

7. नियुक्ति का तरीका

(1) आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती निम्नलिखित तरीके से होगी :–

(i) सीधी भर्ती द्वारा,

(ii) पदोन्नति से, और

(iii) केन्द्र / राज्य शासन / शासन के उपक्रमों / विद्युत नियामक आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।

(2) अधिकारियों / कर्मचारियों की भर्ती परिषिष्ठ–1 (अ) और (ब) में दर्शाये गये तरीकों से किया जावेगा ।

(3) आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी, अपील अधिकारी, एवं पुनर्विचार अधिकारी, परिषिष्ठ–2 में दर्शाये अनुसार होंगे ।

(4) इस विनियम के बनाये जाने के पहले आयोग द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति यदि उस पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं और निर्धारित अधिकतम आयु से कम हैं तो वे भी सीधी भर्ती हेतु पात्र होंगे। जिसमे आयोग द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिये छूट दी जा सकती है बषर्ते वे उस पद हेतु निर्धारित योग्यता को पूर्ण करते हों।

(5) विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव परिषिष्ठ–3 में दर्शाये अनुसार होगा, फिर भी आयोग यदि चाहे तो लिखित में कारण बताते हुए उपयुक्त प्रकरण में पद एवं व्यक्ति को देखते हुए नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता में छूट दे सकता है ।

(6) आयोग द्वारा समय–समय पर की गई प्रत्येक नियुक्ति, चरित्र एवं पूर्ण आचरण की जाँच के पश्चात् होगी जैसा की आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जांए।

8. चयन समिति का गठन

(1) परिषिष्ठ–1 के खण्ड (अ) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीद्वारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी, :–

(i) अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष होंगे,

(ii) आयोग के सदस्य, और

(iii) आयोग द्वारा सदस्य के रूप में नामांकित एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञ, और

(iv) आयोग के सचिव अथवा सचिव की अनुपस्थिति में आयोग के वरिष्ठतम संचालक समिति के प्राधिकृत संयोजक होंगे, और

(v) यदि आवष्यकता हो तो, राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संवर्ग का एक प्रतिनिधि।

(2) परिषिष्ठ–2 के खण्ड (ब) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीद्वारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी :–

(i) संचालको एवं सचिव में से वरिष्ठितम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा,

(ii) सचिव / संचालक, और

(iii) सदस्य के रूप में संयुक्त संचालक,

(iv) अध्यक्ष द्वारा नामांकित उप सचिव अथवा कोई भी अन्य अधिकारी प्राधिकृत संयोजक होंगें,

(v) यदि आवष्यकता हो तो राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संवर्ग का एक प्रतिनिधि।

(3) विनियम की कण्डिका 8(1) के अनुसार चयन समिति की सिफारिषें अंतिम होगी तथा कण्डिका 8(2) के अनुसार चयन समिति की सिफारिषें आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन के विचाराधीन (बाध्य) होगी। चयन समिति की सिफारिशें छः माह के लिए, या उस अवधि हेतु जैसा कि आयोग द्वारा आदेशित हो, वैध होंगी।

(4) आयोग, द्वारा चयन समिति के लिए कार्य पद्धति बनाई जा सकती है ।

9. आयु सीमा :

(1) नियमित / संविदा के सभी पदों की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा राज्य शासन में लागू नियमानुसार होगी।

(2) नियमित / संविदा के वे सभी पद जिसमें न्यूनतम कार्यानुभव एक आवष्यक शर्त के रूप में न हो, की सीधी भर्ती हेतु उच्चतम आयु सीमा राज्य शासन द्वारा लागू नियमानुसार होगी। ऐसे व्यक्तियों की, जो कि पहले से ही आयोग में संविदा / दैनिक वेतन भोगी आधार पर कार्यरत हैं, एसे पदों पर सीधी भर्ती के लिए उच्चतम आयु सीमा का निर्णय आयोग द्वारा लिया जायेगा।

(3) ऐसे पद जिनमें न्यूनतम कार्यानुभव आवष्यक है तथा जो सीधी भर्ती से भरे जाने है, के लिए उच्चतम आयुसीमा का निर्णय आयोग द्वारा, पद के लिए आवष्यक कार्यानुभव के वर्षों को ध्यान में रखते हुए लिया जायेगा।

10. आवेदन :

सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों की संख्या आयोग द्वारा निर्धारित की जावेगी और समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा योग्य उम्मीद्वारों से आवेदन आमंत्रित कर सीधी भर्ती की जावेगी। आयोग आवेदन आमंत्रित करने के लिए शुल्क निर्धारित कर सकता है।

11. प्रमाण पत्र :

आयोग में किसी भी पद पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीद्वारों को निम्नलिखित दस्तावेज / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(1) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र,

(2) प्रथम नियुक्ति के मामल में उस शैक्षणिक संस्था जहाँ अंतिम बार अध्ययन किया गया हो अथवा उस शासकीय / सार्वजनिक उपक्रम जहाँ पूर्व में सेवा की गई हो, से चरित्र एवं व्यवहार प्रमाण पत्र,

(3) अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन–जातियाँ, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों को राज्य शासन के नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र, एवं

(4) राज्य शासन के नियमानुसार निवास प्रमाण पत्र।

12. आवेदन पत्रों की जाँच :

प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी के उपरांत, वैध आवेदन पत्रों के लिये, आयोग द्वारा लिखित परीक्षा / निपुणता–परीक्षण / साक्षात्कार, जो उचित हो, आयोजित किया जावेगा। निपुणता परीक्षण / साक्षात्कार हेतु रिक्त पदों की संख्या के आधार पर उम्मीद्वारों को आमंत्रित किया जा सकेगा।

13. उम्मीद्वारों का चयन :

चयन समिति उम्मीद्वारों की वरीयता के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी को सिफारिश करेगी ।

14. नियुक्तियाँ :

(1) चयन समिति द्वारा वरीयता के आधार पर सिफारिश की गई सूची के अनुरूप ही सभी नियुक्तियाँ की जावेंगी ।

(2) सभी चयनित उम्मीद्वारों को जो पहले शासकीय / शासकीय उपक्रम में कार्यरत न हो, को नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र और चरित्र प्रमाणीकरण कंडिका 7 (6) के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा ।

15. परिवीक्षा :

(1) सभी सीधी भर्ती परिवीक्षा के आधार पर दो वर्ष के लिए होगी ।

(2) परिवीक्षा की समयावधि में अधिकारी एवं कर्मियों को अर्जित अवकाश, असाधारण अवकाश व चिकित्सी अवकाश की पात्रता राज्य शासन के समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मियों को मिलने वाली सुविधा के अनुरूप रहेगी। लेकिन परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा में अनाधिकृत अनुपस्थिति परिवीक्षा की समयावधि में शामिल नहीं होगी।

(3) यदि आयोग की दृष्टि में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण नही किया है तो आयोग परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए एक या एक से अधिक किस्तों में बढ़ा सकता है। यदि बढ़ाई गई अवधि में भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आयोग ऐसे अधिकारी / कर्मचारी को सेवा से हटा सकता है ।

(4) ऐसे कर्मचारी जो परिवीक्षा अवधि में हैं, की सेवा आयोग एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर सकता है ।

16. रिक्तियों का आरक्षण :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक/अन्य श्रेणी के उम्मीद्वारों हेतु पदों के आरक्षण एवं आयु सीमा से संबंधित छूट राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार होंगे एवं इन विनियमों से प्रभावित नहीं होंगे ।

17. प्रशिक्षण :

(1) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों कों आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होना होगा ।

(2) प्रशिक्षण/उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निर्धारित अवधि की सेवा के लिए आयोग से अनुबंध करना होगा जो की एक माह की प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष तक की अवधि से अधिक का नहीं होगा । यह अनुबंध अवधि, प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् अधिकतम दो वर्ष तक का होगा।

आयोग में अनुबंधित अवधि तक सेवा में न रहने पर अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय तथा इस अवधि के समस्त वेतन एवं भत्ते आयोग को लौटाना पड़ सकता है।

(3) प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह के दुराचरण/दुर्व्यवहार के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण से वापस बुलाने एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार आयोग के पास होगा । आयोग ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय की वापसी हेतु निर्णय ले सकता है।

18. पदोन्नति :

पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं पदोन्नति का क्रम परिषिष्ट (IV) में दर्षाये अनुसार होगा।

सभी पदोन्नतियाँ पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावलियों में प्रतिबिम्बित कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर होगी । पदोन्नति हेतु उम्मीद्वारों का चयन उसी चयन समिति के द्वारा किया जायेगा जिसका गठन इस विनियम की कंडिका 8 में सीधी भर्ती (विषेषज्ञ को छोड़कर) हेतु किया गया है । वर्ग–1 से वर्ग–1 की श्रेणी के पदों की पदोन्नति गुणवत्ता के साथ–साथ वरिष्ठता क्रम के आधार पर होगी तथा अन्य पदोन्नतियां वरिष्ठता के साथ–साथ गुणवत्ता के आधार पर होगीं। पदोन्नति के उदेद्ष्य से तकनीकी विभाग के निदेषक एवं संयुक्त निदेषक के पदों को तथा टैरिफ विभाग के निदेषक तथा संयुक्त निदेषक के पदों को संगठित किया जायेगा।

विनियम की कंडिका 8(1) के अनुसार चयन समिति की सिफारिषें अंतिम होगी तथा कंडिका 8(2) के अनुसार चयन समिति की सिफारिषों का अनुमोदन आयोग के अध्यक्ष से करवाना होगा।

19. सेवानिवृत्ति :

समस्त अधिकारी/कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य शासन के नियमों के अनुसार आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

20. आयोग अपनी आवश्यकतानुसार समय–समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर संविदा अथवा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी यदि उपयुक्त पाये जाते हैं तो आयोग उन्हें संविदा पर भी नियुक्त कर सकता है। तथा संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, बषर्ते कि विनियम की कंडिका 8(2) के अनुसार चयन समिति द्वारा उनका चयन किया गया हो।

21. किसी अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें आयोग निर्धारित करेगा जो की सामान्यतः राज्य शासन के निर्धारित सेवा शर्तों के अनुरूप होगीं ।

अध्याय 5 : पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ

22. वेतनमान :

(1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान राज्य शासन द्वारा समय–समय पर किये गए अनुमोदन के अनुसार होगा। कर्मचारी जो दैनिक वेतन पर नियुक्त किये जाएंगे उन्हें कलेक्टर रायपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर के आधार पर वेतन प्रदान किया जाएगा ।

(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ।

(3) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का पुनरीक्षण राज्य शासन में उसी वेतनवर्ग/वेतनमान के समकक्ष आयोग द्वारा बिना राज्य शासन से कोई विषिष्ट अनुमोदन प्राप्त किये, किया जा सकता है।

(4) आयोग में नियमित स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा आदि हेतु आयोग द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार पात्रता होगी।

(5) आयोग के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, किसी प्रसिद्ध चिकित्सा शोध केन्द्र तथा अस्पतालों से स्वास्थ्य परीक्षण के लिये 3 साल में एक बार 5000/– तक के भुगतान के पात्र होंगे। आवष्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा 5000/– तक की इस सीमा में संषोधन किया जा सकता है।

(6) राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्याज सहित/ब्याज मुक्त ऐसे अग्रिम प्राप्त करने की पात्रता होगी जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित हो।

(7) उपयुक्त प्रकरण होने पर आयोग सीधी भर्ती के संबंध में कार्यानुभव/अतिरिक्त योग्यता को ध्यान में रखते हुए भर्ती हुए कर्मचारी/अधिकारी को निर्धारित वेतनमान में उच्च स्तर पर वेतन निर्धारित कर सकता है।

(8) केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रमों/शासन की स्वायत्त संस्थाओं से प्रति नियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति नियुक्ति भत्तों का निर्धारण आयोग द्वारा किया जावेगा ।

(9) राज्य शासन द्वारा बनाये गए नियमों के आधार पर आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमानों (क्रमोन्नति) का लाभ दिया जा सकता है

23. सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिक लाभ :

(1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकीय लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(2) छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्र शासन/अन्य राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रमों से आयोग में संविलियन किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त उप कंडिका–1 में उल्लेखित प्रावधानुसार सेवानिवृत्ति पर प्रदान किये जाने वाले लाभ की गणना, उनके पूर्व सेवा काल हेतु पूर्व नियोक्ता की सहमति से निर्धारित अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ के दायित्वों को ध्यान में रखकर दिया जावेगा।

(3) आयोग के अधिकारी/कर्मचारी ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुटी भुगतान हेतु पात्र होंगे।

अध्याय 6 : विविध

24. संविदा सेवा

(1) आवश्यकता पड़ने पर एवं उपयुक्त लिखित कारणों के अध्यधीन आयोग में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थाई रूप से संविदा आधार पर की जा सकती है और यह भर्ती सामान्यतः एक समय एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं होंगी

आयोग द्वारा समय समय पर संविदा नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जा सकता है जो कि एक समय में 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी, किन्तु कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति की अवधि को राज्य शासन के नियमानुसार अधिकतम आयुसीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) संविधा आधार पर नियुक्त व्यक्ति एकमुश्त पारिश्रमिक के लिए योग्य होगा जो उसकी संविदा अवधि में लागू होगा।

यह संविदा की अवधि एक वर्ष से अधिक होती है तो आयोग उसके परिश्रमिक को बढ़ाने हेतु विचार कर सकता किन्तु एक वर्ष की अवधि में परिश्रमिक को एक बार ही बढ़ाया जा सकता है।

(3) किसी व्यक्ति की संविदा अवधि बढ़ाने या पुनः नियुक्ति पर, जो पहले से ही संविदा आधार पर कार्य कर रहा है, उसके संविदा वेतन को आयोग संषोधित कर सकता है।

परंतु संविदा वेतन की राषि में बढ़ोत्री उसके संविदा अवधि के बढ़ाने या नवीनीकरण के समय पर पूर्व की भुगतान राषि की 25 प्रतिषत से अधिक नही होगी।

(4) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति अर्जित अवकाष, आकस्मिक अवकाष जो राज्य शासन के नियमानुसार लागू हो, के पात्र होगें।

(5) जिस व्यक्ति को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है, ऐसा व्यक्ति या आयोग उनकी सेवायें 30 दिनों का समय देकर या इसके स्थान पर 1 माह के वेतन का भुगतान कर समाप्त कर सकता हैं

25. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 का लागू होना

(1) आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन विनियमों के अध्यधीन, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा सामान्य शर्तें) नियम 1961 और यथासमय–समय पर जारी संशोधित प्रावधान लागू होंगे ।

(2) राज्य शासन द्वारा बनाये गये अन्य प्रासंगिक नियम भी आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के अतिरिक्त हों।

26. गोपनीय प्रतिवेदन

स्टाफ के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये जारी निर्देष आयोग उपयुक्त तरीके से मान्य करेगा।

27. अनुषास्नात्मक कार्यवाहियां तथा अर्थदंड निर्धारण

आचरण, अनुषासन तथा अर्थदंड निर्धारण के संबंध में लोक सेवा (आचरण) नियम 1961 तथा लोक सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण, तथा अपील) नियम 1965 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए मार्गदर्षनों को आयोग उपयुक्त तरीके से मान्य करेगा।

28. शिथलीकरण के अधिकार :

आयोग जनहित में एवं आवश्यक कारणों का उल्लेख करते हुए इन विनियमों में शिथलीकरण कर सकता है। इसमें आयोग के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित आर्हता का शिथलीकरण भी शामिल होगा।

29. आयोग की हस्तांतरण शक्ति की रक्षा

इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नही रोक सकती जो कि इन विनियमों के किसी प्रावधान से अलग है। यदि आयोग इस संबंध में विषिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या लिखित कारणों से इन विनियमों में प्रावधानित प्रक्रिया से हटना आवष्यक या उपयुक्त समझता है।

30. संषोधन अधिकार

आयोग किसी भी समय पर इन नियमों के प्रावधानों में जोड़, बदलाव, संषोधन एवं सुधार कर सकता है।

31. **निर्वचन :**

यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा और यह निर्णय अंतिम होगा। विनियमों को लागू करने में किसी तरह की कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार आयोग को होगा ।

नोटः ***इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।***

आयोग के आदेशानुसार

(एन.के रूपवानी)
सचिव

परिशिष्ठ–1

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं पदों की संख्या

खण्ड–''अ''
अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्ग (छ.ग. शासन के वर्गीकरण के अनुसार)	भर्ती का प्रकार
1.	आयोग सचिव	1	वर्ग–1	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती
2.	संचालक (तकनीकी)	1	तदैव	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती
3.	संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव
4.	संचालक (विधि)	1	तदैव	तदैव
5.	संयुक्त संचालक (तकनीकी)	1	तदैव	तदैव
6.	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव
7.	आर्थिक सलाहकार	1	तदैव	तदैव
8.	उप सचिव	1	तदैव	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती
9.	वित्तीय सलाहकार	1	तदैव	तदैव
10.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	तदैव	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती
11.	उप संचालक (तकनीकी)	1	तदैव	तदैव
12.	उप संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव
13.	विधि अधिकारी	1	तदैव	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती
14.	उप संचालक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	1		तदैव
15.	सहायक संचालक (तकनीकी)	1	वर्ग–2	तदैव
16.	सहायक संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव
17.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	तदैव	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती
18.	सहायक संचालक (लेखा)	1	तदैव	तदैव
19.	अनुभाग अधिकारी	1	तदैव	प्रतिनियुक्ति
20	निज सचिव	2	तदैव	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति

नोटः– उपरोक्त पदों के वेतनमान वे होंगे जो समय–समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित एवं पुनरीक्षित किये जायेंगे।

खण्ड–''ब''

कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्ग (छ.ग. शासन के वर्गीकरण के अनुसार)	भर्ती का प्रकार
1.	निज सहायक	05	तृतीय	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
2.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	तृतीय	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती
3.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तृतीय	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
4.	स्टेनोग्रफर	05	तृतीय	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती
6.	कम्प्यूटर सहायक	03	तृतीय	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
4.	सहायक ग्रेड–2 / कैशियर	03	तृतीय	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
7.	स्टेनोटायपिस्ट	04	तृतीय	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
5.	सहायक ग्रेड–3	05	तृतीय	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
8.	वाहन चालक	04	तृतीय	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
10.	भृत्य	11	चतुर्थ	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11.	माली	01	चतुर्थ	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति

नोटः– उपरोक्त पदों के वेतनमान वे होंगे जो समय–समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित एवं पुनरीक्षित किये जायेंगे।

परिशिष्ठ–2

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी एवं समीक्षा प्राधिकारी

विवरण	परिशिष्ठ–1 के खण्ड 'अ' में सम्मिलित अधिकारियों के लिए	परिशिष्ठ–2 के खण्ड 'ब' में सम्मिलित कर्मचारियों के लिए
(1) नियुक्ति प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(2) अनुशासनिक प्राधिकारी,	अध्यक्ष	सचिव
(3) अपील प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(4) समीक्षा प्राधिकारी	–	आयोग

परिशिष्ट–3
सीधी भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव

क्र.	पदनाम	न्यूनतम आवश्यक योग्यता एवं अनुभव	चाही गई अतिरिक्त योग्यता/अनुभव
01	सचिव	(ए) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, अभियांत्रिकी या विधि से स्नातक को प्राथमिकता। (बी) अधिकारी जो सदृश्य पद पर नियमित रूप से राज्य शासन/केन्द्र शासन या किसी केन्द्र/ राज्य शासन के उपक्रम में कार्यरत् हो एवं उसे कम से कम 20 वर्ष का न्यायपालिका, प्रशासनिक या तकनीकि श्रेणी का अनुभव हो जिसमे से कम से कम 5 वर्ष का प्रबंधन स्तर का अनुभव होना चाहिए। (सी) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट निपुणता।	(ए) शासकीय संस्था का अनुभव (बी) विनियंत्रित उद्योग या नियामक संस्थान या न्यायिक संस्थान का अनुभव एवं/या तत्सम्बंध में व्याख्या करने का ज्ञान एवं अनुभव (सी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान
02	संचालक (टैरिफ)	(ए) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी) Power utility/विद्युत नियामक आयोग/प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था जो विद्युत नियमन के मामले में काम करती हो का कम से कम 20 वर्ष का कार्यानुभव। (सी) विद्युत कंपनी/ Power utility में वाणिज्य संबंधी एवं विद्युत दरों के निर्धारण संबंध में ज्ञान। (डी) पारेषण एवं वितरण तंत्र हेतु रूपांकन, योजना, निर्माण एवं संचालन का अनुभव, नेटवर्क की उपलब्धता एवं लोड फ्लो का अनुभव। (ई) वाणिज्य एवं वित्तीय विशलेषण में निपुणता। (ई) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट निपुणता।	(ए) Power utility के क्षेत्र में वित्त एवं लेखा का ज्ञान। (बी) विद्युत क्रय, विद्युत क्रय अनुबंध, वाणिज्यिक मामले एवं विद्युत दर विकसित करने का अनुभव। (सी) इलेक्ट्रिसिटी लॉ एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (डी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान
03	संचालक (तकनीकी)	(ए) इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी) Power utility/विद्युत नियामक आयोग/प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था जो विद्युत नियमन के मामले में काम करती हो का कम से कम 20 वर्ष का कार्यानुभव। (सी) विद्युत उत्पादन संयंत्र की योजना, रूपांकन, निर्माण, स्थापना एवं संचालन का अनुभव (डी) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट	(ए) विद्युत उत्पादन श्रेत्र में एनालिटिकल मॉडलिंग एवं मानको का निर्धारण करने का ज्ञान। (बी) विद्युत अधिनियम एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (सी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।

		निपुणता।	
04	संचालक (विधि)	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि विद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि (बी) विधि क्षेत्र का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव जिसमें से विधि सलाहकार या राज्य शासन/केन्द्र शासन/शासकीय उपक्रम/विद्युत नियामक आयोग या अन्य नियामक संस्थान/ न्यायाधिकरण में वरिष्ठ पद पर काम करने का कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव। (सी) इलेक्ट्रीसिटी लॉ, कम्पनी लॉ, कॉनट्रेक्ट लॉ के प्रकरणों का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव (डी) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट निपुणता।	(ए) आदेष/विनियम बनाने का अच्छा ज्ञान। (बी) विद्युत क्षेत्र का ज्ञान और/अथवा, अनुभव (सी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।
05	उप सचिव	(ए) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, अभियांत्रिकी या विधि से स्नातक को प्राथमिकता। (बी) अधिकारी जो सदृश्य पद पर नियमित रूप से राज्य शासन/केन्द्र शासन या किसी केन्द्र/ राज्य शासन के उपक्रम में कार्यरत् हो एवं उसे कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो, Power utility /विद्युत मण्डल में अनुभ को प्राथमिकता। (सी) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट निपुणता।	(ए) नियामक अभिकरण का कार्यानुभव। (बी) शासकीय संस्थान में बजट, स्थापना, योजना, लेखा एवं सामग्री प्रबंधन से संबंधित कार्यानुभव। (सी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।
06	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	(ए) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी) Power utility/विद्युत नियामक आयोग/प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था जो विद्युत नियमन के मामले में काम करती हो का कम से कम 15 वर्ष का कार्यानुभव। (सी) विद्युत कंपनी/ Power utility में वाणिज्य संबंधी एवं विद्युत दरों के निर्धारण संबंध में ज्ञान। (डी) पारेषण एवं वितरण तंत्र हेतु रूपांकन योजना, निर्माण एवं संचालन का अनुभव, नेटवर्क की उपलब्धता एवं लोड फ्लो का अनुभव। (ई) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट निपुणता।	(ए) Power utility के क्षेत्र में वित्त एवं लेखा की जानकारी (बी) विद्युत क्रय, विद्युत क्रय अनुबंध, वाणिज्यिक मामले एवं विद्युत दर निर्धारण करने का अनुभव (सी) विद्युत नियम एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (डी) वित्तीय विष्लेषण एवं अर्थिक विष्लेषण में निपुर्णता। (ई) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान
07	संयुक्त संचालक (तकनीकी)	(ए) इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	(ए) विद्युत उत्पादन श्रेत्र में एनालिटिकल मॉडलिंग एवं मानको का निर्धारण करने का ज्ञान।

		(बी) Power utility/विद्युत नियामक आयोग/प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था जो विद्युत नियमन के मामले में काम करती हो का कम से कम 15 वर्ष का कार्यानुभव। (सी) विद्युत उत्पादन संयंत्र की योजना, रूपांकन, निर्माण, स्थापना एवं संचालन का अनुभव (डी) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट निपुणता।	(बी) विद्युत नियम एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (सी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान
08	वरिष्ठ विधि अधिकारी	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि विद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि (बी) विधि क्षेत्र का कम से कम 12 वर्ष का अनुभव जिसमें से विधि सलाहकार या राज्य शासन/केन्द्र शासन/शासकीय उपक्रम/विद्युत नियामक आयोग या अन्य नियामक संस्थान/ न्यायाधिकरण में वरिष्ठ पद पर काम करने का कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव। (सी) इलेक्ट्रीसिटी लॉ, कम्पनी लॉ, कॉनट्रेक्ट लॉ के प्रकरणों का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव (डी) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट निपुणता।	(ए) आदेष/विनियम बनाने का अच्छा ज्ञान। (बी) विद्युत क्षेत्र का ज्ञान और/अथवा, अनुभव (सी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।
09	उप संचालक (टैरिफ)	(ए) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी) Power utility/विद्युत नियामक आयोग/प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था जो विद्युत नियमन के मामले में काम करती हो का कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव। (सी) विद्युत कंपनी/ Power utility में वाणिज्य संबंधी एवं विद्युत दरों के निर्धारण संबंध में ज्ञान। (डी) पारेषण एवं वितरण तंत्र हेतु रूपांकन योजना, निर्माण एवं संचालन का अनुभव, नेटवर्क की उपलब्धता एवं लोड फ्लो का अनुभव। (ई) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट निपुणता।	(ए) Power utility के क्षेत्र में वित्त एवं लेखा की जानकारी (बी) विद्युत क्रय, विद्युत क्रय अनुबंध, वाणिज्यिक मामले एवं विद्युत दर विकसित करने का अनुभव (सी) विद्युत नियम एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (डी) कम्प्यूटर साक्षरता
10	उप संचालक (तकनीकी)	(ए) इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी) Power utility/विद्युत नियामक आयोग/प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था जो विद्युत नियमन के मामले में काम करती हो	(ए) विद्युत उत्पादन श्रेत्र में एनालिटिकल मॉडलिंग एवं मानको का निर्धारण करने का ज्ञान। (बी) विद्युत नियम एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी

		का कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव। (सी) विद्युत उत्पादन संयंत्र की योजना, रूपांकन, निर्माण, स्थापना एवं संचालन का अनुभव (डी) लेखन एवं बोलचाल में निपुणता।	(सी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान
11	उप संचालक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	(ए) किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी) अधिकारी जो सदृश्य पद पर नियमित रूप से राज्य शासन/केन्द्र शासन या किसी केन्द्र/ राज्य शासन के उपक्रम में कार्यरत् हो एवं उसे अधिकारी के पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। (सी) उपभोक्ता की समस्याओं की व्याख्या करने की योग्यता (डी) लेखन एवं बोलचाल मे विशिष्ट निपुणता।	(ए) Media के साथ कार्य का अनुभव (प्रेस, दूरदर्षन, आकाषवाणी एवं Multimedia) (बी) इलेक्ट्रिसिटी लॉ की जानकारी (सी) अभियांत्रिकी या विधि से स्नातक। (डी) विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता शिकायत निराकरण के संबंध में ज्ञान (ई) कम्प्यूटर संचालन का अनुभव।
12	सहायक संचालक (टैरिफ)	(ए) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और Power utility/विद्युत नियामक आयोग/प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था जो विद्युत नियमन के मामले में काम करती हो का कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव। (बी) लेखन एवं बोलचाल में निपुणता। **या** (ए) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और Power Management में एम.बी.ए., नेषनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिटूट से एम.बी.ए. को प्राथमिकता। (बी) लेखन एवं बोलचाल में निपुणता।	(ए) इलेक्ट्रिसिटी लॉ एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (बी) Power utility/विद्युत कम्पनी में वाणिज्यिक मामले का ज्ञान। (सी) पारेषण/वितरण प्रणालि तंत्र की निर्माण एवं संचालन एवं Network availability का अनुभव (डी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।
13	सहायक संचालक (तकनीकी)	(ए) इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और Power utility/विद्युत नियामक आयोग/प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था जो विद्युत नियमन के मामले में काम करती हो का कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव। (बी) लेखन एवं बोलचाल में निपुणता।	(ए) विद्युत उत्पादन के मानको की ज्ञान। (बी) इलेक्ट्रिसिटी लॉ एंव विद्युत

		या (ए) इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और Power Management में एम.बी.ए., नेषनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिटूट से एम.बी.ए. को प्राथमिकता। (बी) लेखन एवं बोलचाल में निपुणता।	क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (सी) विद्युत उत्पादन सयंत्र के निर्माण/स्थापना एवं संचालन का अनुभव (डी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।
14	अर्थप्रबंध सलाहकार	(ए) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए. (बी) व्यवसायिक योग्यता पूरी होने के उपरांत कम से कम 15 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव (सी) Sound analytical and modeling skill and capability in economics (डी) मूल्यांकन एवं विद्युत दर निर्धारण की जानकारी। (ई) अच्छे लेखन एवं बोलचाल मे विशिष्ट निपुणता।	(ए) विद्युत क्षेत्र या वाणिज्यिक संस्था का Demonstated Knowledge एवं/या अनुभव (बी) कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस/एक्सेल शीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता
15	वित्तीय सलाहकार	(ए) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए. (बी) व्यवसायिक योग्यता पूरी होने के उपरांत कम से कम 10 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव (सी) Sound analytical and modeling skill and capability in financial statement analysis. (डी) लागत विश्लेषण एवं लेखा का अनुभव (ई) कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस/एक्सेल शीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता (एफ) अच्छे लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) विद्युत क्षेत्र या वाणिज्यिक संस्था का Demonstated Knowledge एवं/या अनुभव (बी) मूल्यांकन एवं विद्युत दर निर्धारण की जानकारी
16	विधि अधिकारी	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि विद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि (बी) राज्य शासन/केन्द्र शासन/शासकीय उपक्रम/विद्युत नियामक आयोग या अन्य नियामक संस्थान/ न्यायाधिकरण में विधि क्षेत्र का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। (सी) इलेक्ट्रीसिटी लॉ, कम्पनी लॉ,	(ए) आदेष/विनियम बनाने का अच्छा ज्ञान। (बी) विद्युत क्षेत्र का ज्ञान और/अथवा, अनुभव (सी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।

		कॉनट्रेक्ट लॉ के प्रकरणों का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव (डी) लेखन एवं बोलचाल में विशिष्ट निपुणता।	
17	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	(ए) कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रोद्योगिकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियंत्रिकी स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एम.सी.ए। (बी) सूचना प्रोद्यौगिकी प्रबंधन में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव। (सी) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में निपुणता।	(ए) आर.डी.बी.एम.एस. (रिलेषनल डाटा बेस मेनेजमेन्ट सिस्टम) और वेब इनबिल्ड प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क का अनुभव। (बी) बड़ी संस्था में लेन (लोकल ऐरिया नेटवर्क) के संचालन एवं प्रबंधन का अनुभव। (सी) अधिकारी जो सदृश्य पद पर नियमित रूप से राज्य शासन /केन्द्र शासन या किसी केन्द्र /राज्य शासन के उपक्रम में कार्यरत् हो।
18.	सहायक संचालक (लेखा)	(ए) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर। (बी) सी.ए. (इन्टर)/आई.सी.डब्ल्यू.ए.(इन्टर) (सी) केन्द्र/राज्य शासन या केन्द्र/ राज्य शासन के उपक्रम या प्रतिष्ठित संस्था में लेखा और पुस्तपालन/कोषालय संचालन /अंकेक्षण/बजट/वेतन बिल का कम से कम 10 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।	(ए) कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस /स्प्रेडशीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता (बी) अधिकारी जो सदृश्य पद पर नियमित रूप से राज्य शासन/केन्द्र शासन या किसी केन्द्र/ राज्य शासन के उपक्रम में कार्यरत् हो। (सी) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में निपूणता।
19	कनिष्ठ लेखाधिकारी	(ए) किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर। (बी) सी.ए. (इन्टर)/आई.सी.डब्ल्यू.ए.(इन्टर) (सी) केन्द्र/राज्य शासन या केन्द्र/ राज्य शासन के उपक्रम या प्रतिष्ठित संस्था में लेखा और पुस्तपालन/ कोषालय संचालन/अंकेक्षण /बजट/ वेतन बिल का कम से कम 5 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।	(ए) कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस/स्प्रेडषीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुषलता (बी) व्यक्ति जो नियमित रूप से राज्य शासन/केन्द्र शासन या किसी केन्द्र/ राज्य शासन के उपक्रम में कार्यरत् हो। (सी) अच्छे बोलचाल मे निपुणता।
20	स्टेनोग्रफर	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि	(ए) द्वि–भाषीय शीघ्रलेखन एवं मुद्रणलेखन वाले व्यक्ति को प्राथमिकता।

		(बी) किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन एवं हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। शीघ्रलेखन की गति 100 शब्द प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिये एवं हिन्दी मुद्रलेखन में 25 शब्द/अंग्रेजी मुद्रणलेखन में 40 शब्द प्रति मिनट की गति। (सी) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण–पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10000 की डिप्रेषन प्रति घंटा की गति होना चाहिये। (डी) राज्य शासन/अर्ध शासकीय /प्रतिष्ठित संस्था में स्टेनोग्राफर/ स्टेनोटायपिस्ट के पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव।	
21	सहायक ग्रेड–3	(ए) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि। (बी) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण, हिन्दी मुद्रलेखन में 25 शब्द/अंग्रेजी मुद्रणलेखन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (सी) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण–पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10000 की डिप्रेषन प्रति घंटा की गति होना चाहिये।	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता (बी) कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।
22	स्टेनो टायपिस्ट	(ए) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि। (बी) किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन एवं हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। शीघ्रलेखन की गति 60 शब्द प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिये एवं हिन्दी मुद्रलेखन में 25 शब्द/अंग्रेजी मुद्रलेखन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (सी) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण–पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10000 की डिप्रेषन प्रति घंटा की गति होना चाहिये।	(ए) द्वि–भाषीय शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन वाले व्यक्ति को प्राथमिकता।

23	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि एवं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए। **अथवा** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. सी.ए. या कम्प्यूटर में स्नातक किसी बडी संस्था में कम्प्यूटर परं कम से कम 8 वर्ष का कार्यानुभव जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का अनुभव।	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता (बी) कम्प्यूटर हार्डवेयर, लोकल ऐरिया नेटर्वकिंग एवं वेवसाइट में अच्छा ज्ञान रखने वाले एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा पास व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।
24	कम्प्यूटर सहायक	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि एवं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए। **अथवा** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. सी.ए. या कम्प्यूटर में स्नातक कम से कम कम्प्यूटर पर 3 वर्ष का किसी बडे कार्यालय में कार्य का अनुभव।	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता (बी) कम्प्यूटर हार्डवेयर, लोकल ऐरिया नेटर्वकिंग एवं वेवसाइट में अच्छा ज्ञान रखने वाले एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा पास व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।
25	वाहन चालक	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम आठवीं पास हल्के वाहन चलाने का कम से कम पांच साल पुराना ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए वाहन चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव	राज्य शासन/अर्धषासकीय कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के वाहन चलाने का अनुभव
26	भृत्य	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम आठवीं पास	राज्य शासन/अर्धषासकीय कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के पास भृत्य का कार्य करने का अनुभव
27	माली	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम आठवीं पास के साथ 2 वर्षो का माली के कार्य का अनुभव।	राज्य शासन/अर्धषासकीय कार्यालय/नगर निगम द्वारा संधारित उद्ययानों में माली का कार्य करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता।

परिशिष्ठ–4

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं उनका पदोन्नति का क्रम

क्र.	पदोन्नत पद	पद जिनसे पदोन्नत किया जावेगा	पात्रता
1	संचालक (तकनीकी)	संयुक्त संचालक (तकनीकी) संयुक्त संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
2	संचालक (टैरिफ)	संयुक्त संचालक (तकनीकी) संयुक्त संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
3	संचालक (विधि)	वरिष्ठ विधि अधिकारी	5 वर्ष
4	संयुक्त संचालक (तकनीकी)	उप संचालक (तकनीकी) उप संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
5	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	उप संचालक (टैरिफ) उप संचालक (तकनीकी)	5 वर्ष
6	अर्थप्रबंध सलाहकार	वित्तीय सलाहकार	5 वर्ष
7	वरिष्ठ विधि अधिकारी	विधि अधिकारी	5 वर्ष
8	उप संचालक (तकनीकी)	सहायक संचालक (तकनीकी)	5 वर्ष
9	उप संचालक (टैरिफ)	सहायक संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
10	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5 वर्ष
11	सहायक संचालक (लेखा)	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5 वर्ष
12	निज सचिव	निज सहायक	5 वर्ष
13	निज सहायक	स्टेनोग्राफर	5 वर्ष
14	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	कम्प्यूटर सहायक	5 वर्ष
15	स्टेनोग्राफर	स्टेनोटायपिस्ट	5 वर्ष
16	कार्यालय सहायक श्रेणी–2	कार्यालय सहायक श्रेणी–3	5 वर्ष